

MINUTES OF MEETINGS OF EXECUTIVE COUNCIL

2021-22

VERIFIED



REGISTRAR

Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Sawel
Dr. Prakriti James
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. ६० / का.प. / बैठक / 2021

बिलासपुर, दिनांक ०६/०७/२०२१

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या ०५/आपात / २०२१, दिनांक ०५/०७/२०२१, दिन सोमवार को अपराह्ण १२:०० बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक २, ३, ४, ६ एवं ९ के सदस्य विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर | - अध्यक्ष |
| २. | प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इन्हन् के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| ३. | श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| ४. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| ५. | श्री आर. के. पटेल
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| ६. | श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| ७. | पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |

8.	श्री प्रफुल्ल शर्मा चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)	- सदस्य
9.	श्री उचित सूद (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)	- सदस्य
10.	डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग) पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत) डॉ. इंदु अनंत कुलसचिव पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर	- सदस्य - सचिव

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थिति / विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके -

1.	श्री संतराम नेताम उपाध्यक्ष बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण रायपुर	- सदस्य
2.	श्री गुलाब कमरो उपाध्यक्ष सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण रायपुर	- सदस्य

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए कम्प्यूटर संबंधी समिति की अनुशंसा पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए कम्प्यूटर संबंधी समिति की अनुशंसा पर विचार किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए गए देयक राशि रु. 75,80,438/- (पचहत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अड़ीस रु. मात्र) राशि का 80 प्रतिशत राशि भुगतान कर दिया जाए एवं 20 प्रतिशत राशि रोक ली जाय। कम्प्यूटर सेट के संतोषजनक कार्य करने की रिपोर्ट प्रदाय विभाग एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर से प्राप्त कर रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जाय एवं आगामी बैठक में इसकी सूचना कार्यपरिषद् में प्रस्तुत की जाय।

(माननीय कुलपति महोदय जी इस निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लिये)

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – स्व-अध्ययन सामग्री (SLM) के मुद्रण संबंधी फर्म के चयन पर विचार।
निर्णय –

स्व-अध्ययन सामग्री (SLM) के मुद्रण संबंधी फर्म चयन के संबंध में विचार किया गया। L1 व L2 पर आई फर्मों की दरों पर भी विचार किया गया। फर्म P-Square solution Mathura के सहमति पत्र का भी अवलोकन किया गया तत्पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की प्रथमतः संवाद से दरे ले ली जाय। संवाद से उपलब्ध दर एवं निविदा से प्राप्त दरों की तुलना कर ली जाय। संवाद से यह भी जानकारी ले ली जाय की पाठ्य सामग्री मुद्रण कितने समय में मुद्रित कर विश्वविद्यालय में पहुँचाकर प्रदाय की जाएगी।

अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संवाद की दर निविदा द्वारा दी गई दर से अधिक होने पर, समय पर या सामग्री मुद्रित कर 45 दिन में प्रदान न करने की स्थिति में L1 फर्म P-Square solution Mathura को कार्यादेश जारी करने, अनुबंध करने की रवीकृति प्रदान की जाय एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – राजभवन से प्राप्त पत्र सूचनार्थ।

निर्णय – राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक /3170/889/2019/रास/यू-6 रायपुर दिनांक 30/06/2021 की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – T.A. बिल पर प्रतिहस्ताक्षर संबंधी।

निर्णय – T.A. बिल पर प्रतिहस्ताक्षर प्रस्ताव निम्नानुसार मान्य किया गया।

क्र.	यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी	प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
01	कुलपति	कुलपति
02	कुलसचिव	कुलपति
03	विभाग प्रमुख	कुलसचिव
04	विभाग प्रमुख के अधीनस्थ कर्मचारी	विभाग प्रमुख
05	हवाई यात्रा एवं कार से यात्रा	कुलपति

इस प्रतिहस्ताक्षर व्यवस्था को पूर्व के सभी प्रकरणों हेतु भी मान्य किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा प्राप्त आवेदन संबंधी।

निर्णय – डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया। डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय को वार्षिक वेतन वृद्धि जारी की जा चुकी है। विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कार्यपरिषद् की 98 वी. बैठक दिनांक 14/12/2020 को वेतन वृद्धि स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य शासन के आदेश पत्र क्र. 15-2/2021/38-2, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 08/06/2021 के परिपालन में संबंधित का पक्ष लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र जारी किया गया है। प्रतिउत्तर अभी अप्राप्त है।

डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय के वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी अध्यक्ष को संबोधित कर लिखे गए पत्र पर विचार किया गया। कार्यपरिषद के सदस्यों की इस संबंध में पृथक—पृथक अभिमत/विचार रहे: यथा सदस्य पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, डॉ. प्रफुल्ल शर्मा एवं श्री एस. एल. नायक द्वारा स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का मत दिया गया। डॉ. राजलक्ष्मी सेलट द्वारा 'अभी जॉच चल रही है इसलिए इसे स्थगित रखा जाना उचित होगा' कहा गया। श्री आर.के. पटेल द्वारा 'राज्य शासन के आदेश के परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा' का मत दिया गया। प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवार्स्तव द्वारा राज्य शासन के नियमों के परिपेक्ष्य में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति पर निर्णय लेने का मत दिया गया।

इस प्रकार बैठक में भाग ले रहे 09 सदस्यों में से 03 सदस्य पक्ष में नहीं थे जबकि बहुमत वेतन वृद्धि आदेश के क्रियान्वयन के पक्ष में था।

टीप:- माननीय अध्यक्ष/कुलपति महोदय जी ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 09 (21) के अन्तर्गत प्रकरण को राजभवन भेजने का टीप दिया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय समन्वयकों के वाहन भत्ता संबंधी।

निर्णय –

- विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय समन्वयकों के वाहन भत्ता को स्थगित किया गया।
- यह भी कि सेत्रीय समन्वयकों का मानदेय प्रति माह रु 6,000/- मात्र स्वीकृत किया गया। यह व्यय छात्र उत्तरदायित्व शीर्षक के 9. Expenditure on RSD: Student Support Services & Centers Maintenance etc. – 03: Honorarium of Coordinators, Assistant Coordinators & Assistants (With NPS) मद से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष

(इंदु अस्तंत)

कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. ६। / का.प./बैठक/2021,

बिलासपुर, दिनांक ०६/०७/२०२१

प्रतिलिपि –

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
- निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
- सम्माननीय सदस्यगण –
- प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवार्स्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

- 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोण्डागांव।
- 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
- 3.4 श्री आर. के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
- 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- 3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
की ओर कार्यवाही—विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन—प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नरती हेतु।

—
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. ३५/का.प./बैठक/2022

बिलासपुर, दिनांक १६/०६/२०२२

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की बैठक संख्या ०८/नियमित/2022, दिनांक १५/०६/२०२२, दिन बुधवार को अपराह्ण १२:०० बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक २, ३, ४, ५, ७ एवं ९ के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| १. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | अध्यक्ष |
| २. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| ३. श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| ४. श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| ५. श्री प्रफुल्ल शर्मा (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| ६. श्री उचित सूद
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| ७. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |

8. डॉ. प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
9. पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
(विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
- डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री गुलाब कमरो
उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
2. श्री संतराम नेताम
उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
3. श्री आर.के. पटेल
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 07/नियमित/2022 की कार्यवाही-विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – कार्यवृत्त को सम्पुष्टि दी गई तथा पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया। पालन प्रतिवेदन के प्रस्ताव क्रमांक 5 (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में 'प्रदेश के सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी लागू होगा' इसे जोड़ा जाए के साथ-साथ अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त अधिवक्ता के देयक 25,000/- रु. भुगतान संबंधी।

निर्णय – विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृत करनें के पूर्व राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शुल्क के अनुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विधिक शुल्कों की सूची में महाधिवक्ता

अथवा अतिरिक्त महाधिवक्ता शुल्क न होने की स्थिति में विशेष प्रकरण के रूप में रुपये 25,000/- भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2022–23 के अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2022–23 का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सदस्य विद्यापरिषद् के द्वारा प्राप्त त्याग पत्र संबंधी।

निर्णय – प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सदस्य विद्यापरिषद् के द्वारा प्राप्त त्याग पत्र स्वीकार किया गया। प्रो. एच.एस. होता, प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का मनोनयन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 265/एफ 2013–04–00416/ वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022 की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय के शिक्षकों का CAS (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत क्रमोन्तत प्रकरणों पर विचार संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों का CAS (Career Advancement Scheme) संबंधी नियमों तथा नये प्रारूप (PBAS) के आधार पर यथाशिष्ट प्रक्रिया कर कार्यवाही की जाए।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों में से विशिष्ट अध्ययन केन्द्र के रूप में चिन्हित/अंकित किये गये केन्द्रों की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों हेतु पार्किंग शेड बनाने विषयक।

निर्णय – विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों हेतु पार्किंग शेड बनाने की अनुमति प्रदान की गई। रुपये 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार रुपये) राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। वाहनों को शेड तक पहुँचाने के पहुँच मार्ग (Approach Road) बनाया जाए। पेवर सहित कार्य कराया जाए। पहुँच मार्ग (Approach Road) एवं पेवर सहित कार्य के लिए बढ़े हुए लागत की स्वीकृति के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – यांत्रिकि विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय सी.ए. पैनल की सूची के अनुमोदन पर विचार संबंधी।

निर्णय – श्री संजय मिश्रा को पुनः एक वर्ष के लिए सी.ए. का कार्य दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/एड्वोकेट ऑन रिकार्ड के शुल्क एवं सत्र/सिविल न्यायालयों के प्रति (पैरवी) यात्रा व्यय पुनः निर्धारण संबंधी।

निर्णय – सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित शुल्क की सूची के क्रमांक 05 (वरिष्ठ अधिवक्ता प्रति हियरिंग/प्रति प्रकरण शुल्क रु. 50,000 के स्थान पर रु. 40,000) आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्तावित शुल्क को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं के शुल्क के प्रस्ताव को मान्य किया गया। इसके साथ-साथ महाधिवक्ता एवं उप-महाधिवक्ता के शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये शुल्क प्रस्ताव को इस विश्वविद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया जाय। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए शुल्क जारी न करने की स्थिति में रूपये 10,000/- महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता शुल्क रूपये 5,000/- पेपर वर्क कुल 15,000/- रूपये विधिक अधिमत के लिए शुल्क स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही – विधि विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – सत्र न्यायालयों में अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले शुल्क/प्रस्तावित शुल्क संबंधी।

निर्णय – सत्र न्यायालयों में अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क को मान्य किया गया।

कार्यवाही – विधि विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – अधिवक्ता श्री समीर कुमार शर्मा के देयक भुगतान संबंधी।

निर्णय – अधिवक्ता श्री समीर कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत देयक पर विचार किया गया। यात्रा भत्ता, विधिक व्यय एवं वाहन बिल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत को यथावत स्वीकृति प्रदान की गई। सूनवाई हेतु प्रस्तुत देयक को प्रति सुनवाई पुर्वन्तर रूपये 300/- ही मान्य किया गया। प्रति सुनवाई 300 रूपये मान्य करते हुए भुगतान की स्वीकृति मान्य की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय/अध्ययन केन्द्रों हेतु कम्प्युटर, प्रिंटर कम स्केनर एवं UPS के देयक राशि रूपये 82,70,980/- के भुगतान संबंधी (विश्वविद्यालय बजट-2021-22 के Head of Account C-1 Grant from UGC on item for development funds से विकलनीय)।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यादेश के अनुरूप देयक प्राप्त कर लिया जाय। फर्म द्वारा प्रदाय सामग्री जिसका भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त की अनुशंसा पर फर्म श्री राम कम्प्यूटर के देयक की राशि रूपये 82,70,980/- (ब्यासी लाख सत्तर हजार नौ सौ अस्सी रूपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विद्यापरिषद् की 38 वीं (नियमित) बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – योजना मंडल की 11 वीं (नियमित) बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – आकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 16 – विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों से **Alumni Student Fees Rs. 100/-** लिये जाने संबंधी।

निर्णय – **Alumni Student Fees Rs. 100/-** लिये जाने के पूर्व छात्र की सहमति लेकर उक्त शुल्क लिया जाए। किस कारण से यह शुल्क लिया जा रहा है इसकी विस्तृत जानकारी विद्यार्थी को दी जाए।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/स्थापित नवीन अध्ययन केन्द्रों एवं संचालित/स्थापित बंद किये गये अध्ययन केन्द्रों की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 18 – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा जुलाई-जून 2021–2022 के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 22,78,000/- (बाईस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – राशि रु. 22,78,000/- (बाईस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 19 – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी।

निर्णय – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था में M/s Shree Siddhi Vinayak Service, Bilaspur को उसके कार्य की समीक्षा करते हुए 1 वर्ष के लिए पूनः कार्य दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी वर्ष में समय पर (जनवरी-फरवरी) में टेंडर कर कार्य दिया जाए।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 20 — डी.एल.एड. छात्रा रंजीता के प्रवेश संबंधी।

निर्णय — डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष की छात्रा रंजीता सूर्यवंशी को विशेष प्रकरण के रूप में प्रवेश देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही — क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 21 — स्वअध्ययन सामग्री मुद्रण संबंधी।

निर्णय — शासकीय मुद्रणालय को स्व. अध्ययन सामग्री मुद्रण के लिए शासन आदेश का परिपालन करते हुए कार्यादेश दिये जाने कि स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर श्री उचित सूद द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई जिसमें उनके द्वारा स्व अध्ययन सामग्री मुद्रण कार्य टेडंर के माध्यम से दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया। कार्यपरिषद् की आगामी बैठक तक स्व अध्ययन सामग्री मुद्रण संबंधी कार्यादेश क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया।

कार्यवाही — भण्डार विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

१५/६/२२

(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति / अध्यक्ष

१५/६/२२
(इंदु अनंत) —

कुलसचिव / सचिव

पृ. क्र. ३६ / का.प. / बैठक / 2022,

बिलासपुर, दिनांक १५/०६/२०२२

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण —
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।

- 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- 3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

— १ —
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. 220/का.प./बैठक/2022

बिलासपुर, दिनांक 29/03/2022

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 07/नियमित/2022, दिनांक 29/03/2022, दिन मंगलवार को अपराह्न 02:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2 एवं 7 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इनू के द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 3. | श्री एस.एल.नायक
संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 4. | श्री आर.के. पटेल
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 5. | श्री प्रफुल्ल शर्मा
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 6. | श्री उचित सूद
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 7. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |

29.3.22
B/1/2
४

8.	डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग) पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)	- सदस्य
	डॉ. इंदु अनंत कुलसचिव पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	- सचिव

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके -

1.	श्री गुलाब कमरो उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण रायपुर	- सदस्य
2.	श्री संतराम नेताम उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण रायपुर	- सदस्य
3.	श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)	- सदस्य
4.	पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) बूङ्गा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	- सदस्य

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

प्रस्ताव क्र. 01 - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक संख्या 06/नियमित/2022, 07/आपात/2022 एवं 08/आपात/2022 की कार्यवाही-विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय - कार्यवृत्तों को सम्पुष्टि दी गई तथा पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 - वित्तीय वर्ष 2021-2022 के पुनरीक्षित बजट एवं 2022-23 के प्रस्तावित बजट पर वित्त समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - शासन से अनुदान रु. 106 लाख मिलने के कारण वर्ष 2021-22 में A(A1) में आय 610 के स्थान पर 616 किया गया। तदनुसार आंशिक संशोधन के साथ वर्ष 2021-2022 का पुनरीक्षित बजट आय रु. 3880.16 तथा कुल Deficit रु. 6.6 लाख किया गया इस संशोधन के साथ पुनरीक्षित तथा वर्ष 2022-23 हेतु बजट पारित किया गया।

कार्यवाही - वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – संवाद के देयक भुगतान हेतु अंतर की राशि 67,848/- (सङ्गत हजार आठ सौ अड़तालिस रुपये) की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय ग्रंथपाल (Level 10) पद पर साक्षात्कार समिति का लिफाफा खोल कर नियुक्ति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय ग्रंथपाल (Level 10) पद पर साक्षात्कार समिति का लिफाफा कार्यपरिषद् के समक्ष खोला गया। चयन समिति द्वारा मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर डॉ. ओमप्रकाश पटेल को चयनित कर अनुशासित किया गया है। चयन समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद् द्वारा मान्य की गई। नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – सर्वर क्रय के देयक 10,19,600/- (दस लाख उन्नीस हजार छ: सौ रुपये) भुगतान की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – सर्वर क्रय के देयक 10,19,600/- (दस लाख उन्नीस हजार छ: सौ रुपये) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। मद क्रमांक B 8 से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – वित्त विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक (Commerce, Education & English) पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26–27 मार्च 2022 को होने वाले साक्षात्कार का साक्षात्कार समिति द्वारा सौंपें गये लिफाफों को खोल कर नियुक्ति पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक (Commerce, Education & English) पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26 एवं 27 मार्च 2022 को होने वाले साक्षात्कार का साक्षात्कार समिति द्वारा सौंपें गये लिफाफों को खोला गया। चयन समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद् द्वारा मान्य की गई। नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। मेरिट में प्रथम क्रम पर आये अभ्यर्थियों की निम्नानुसार नियुक्ति की गई।

1. वाणिज्य – डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी (UR)

2. शिक्षा – वर्षा शशि नाथ (ST)

3. अंग्रेजी – प्रवीण टोप्पो (ST)

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय के 02 (दो) पी–एच.डी शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड. एवं डी.एल.एड. (प्रथम एवं द्वितीय सत्र 2021–22) के पाठ्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 62,15,120/- भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड. एवं डी.एल.एड. (प्रथम एवं द्वितीय सत्र 2021–22) के पाठ्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 62,15,120/- भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। मद क्रमांक B.9(3) से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यवाही विवरण को अनुमोदित करते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – यांत्रिकि विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – फोटोकॉपी मशीन के देयक रु. 11,78,296/- (ग्यारह लाख अठत्तर हजार दो सौ छियान्बे रुपये मात्र) भुगतान की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – फोटोकॉपी मशीन के देयक रु. 11,78,296/- (ग्यारह लाख अठत्तर हजार दो सौ छियान्बे रुपये मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। मद क्रमांक A2-7(7) से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – छत्तीसगढ़ संवाद के देयक रु. 14,40,780/- (चौदह लाख चालीस हजार सात सौ अस्सी) के भुगतान संबंधी।

निर्णय – छत्तीसगढ़ संवाद के देयक रु. 14,40,780/- (चौदह लाख चालीस हजार सात सौ अस्सी) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। मद क्रमांक B.1.2 (i) से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – आनंद निकेतन एकीकृत दिव्यांग विद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार संबंधी।

निर्णय – प्राप्त पत्र पर विचार किया गया। अंध, मूँक एवं बधिर विद्यार्थियों को रु. 1000/- पंजीयन शुल्क लेकर प्रमाण पत्रों के आधार पर शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त BPL के नियम में भी परिवर्तन हेतु कार्यपरिषद् की अगली बैठक में रखने का सूझाव दिया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. में आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों के संरचना पर विचार संबंधी।

निर्णय – जानकारी दी गई। विधिवत् कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – नवीन वाहन क्रय के देयक रु. 63,64,916/- भुगतान संबंधी।

निर्णय – नवीन वाहन क्रय के देयक रु. 63,64,916/- भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त Ciaz की राशि 9,23,728.16/- एवं अन्य कर सहित भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मद क्रमांक B.11.1 (1) से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर दिनांक 28/03/2022 की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

6/4/25-3-22
(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष

८१
(इंदु अमृत)
कुलसचिव/सचिव

पु. क्र. 221/का.प./बैठक/2022,

प्रतिलिपि –

बिलासपुर, दिनांक 29/03/2022

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोणडागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
 - 3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।

- 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
की ओर कार्यवाही—विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन—प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।



—
कुलभूषण सिंह



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. २५/ का.प./ बैठक / 2022

बिलासपुर, दिनांक २३/०२/२०२२

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की बैठक संख्या ०८/आपात/2022, दिनांक २३/०२/२०२२, दिन बुधवार को अपराह्न १२:०० बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक २, ३, ४, ५ एवं ६ के सदस्य विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से) — सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
3. श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)
4. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से) — सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)
5. श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से) — सदस्य
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. डॉ. प्रफुल्ल शर्मा — सदस्य
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
8. श्री उचित सूद — सदस्य
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

9. श्री आर. के. पटेल – सदस्य
 संभागीय संयुक्त संचालक
 कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
 (सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
10. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति – सदस्य
 सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
 (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत – सचिव
 कुलसचिव
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके :-
1. श्री संतराम नेताम – सदस्य
 उपाध्यक्ष
 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर
 2. श्री गुलाब कमरो – सदस्य
 उपाध्यक्ष
 सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01– विश्वविद्यालय अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम 2021 के कंडिका 3.1 में संशोधन करते हुए, नियम अथवा विनियम के रूप में अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम 2021 में 'नियम 2021' के स्थान पर 'शर्तों का परिनिश्चयन' किया जाय तथा कंडिका 3.1 में संशोधन करते हुए, प्रस्ताव के अनुसार 3.1 को प्रतिस्थापित किया जाय जिससे परिनियम के प्रावधान से सुसंगति हो।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 02– विश्वविद्यालय मानसेवी कर्मचारियों के प्रोत्साहन राशि को मानदेय राशि जोड़ने/समायोजित करने तथा प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय मानसेवी कर्मचारियों के प्रोत्साहन राशि को मानदेय राशि जोड़ने/समायोजित करने तथा प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने के प्रस्ताव को मान्य किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

- प्रस्ताव क्र. 03—** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने संबंधी।
- निर्णय —** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना की सूचना ग्रहण की गई।
- कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग
- प्रस्ताव क्र. 04—** विश्वविद्यालय स्क्रीनिंग समिति एवं साक्षात्कार समिति के सदस्यों के मानदेय निर्धारण संबंधी।
- निर्णय —** विश्वविद्यालय स्क्रीनिंग समिति एवं साक्षात्कार समिति के सदस्यों के मानदेय दस्तावेज जॉच/स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों को रुपये 3,000/- तथा चयन समिति के सदस्यों को रुपये 5,000/- प्रतिदिन की दर से मान्य किया गया।
- कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग
- प्रस्ताव क्र. 05—** OCI Architects के देयक रु. 10,41,275/- (दस लाख इकतालिस हजार दो सौ पचहत्तर रुपये) भुगतान संबंधी।
- निर्णय —** प्रस्ताव को कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।
- कार्यवाही – वित्त विभाग
- प्रस्ताव क्र. 06—** विधि विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की संपर्क कक्षाओं में शिक्षकों/विषय विशेषज्ञों को कालखण्ड अनुसार दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक देयक संबंधी।
- निर्णय —** मान्य किया गया।
- कार्यवाही – विधि विभाग
- प्रस्ताव क्र. 07—** Result Processing कार्य की निविदा संबंधी।
- निर्णय —** पूर्व अनुबंधित कार्यरत MICS फर्म को पूनः एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व स्वीकृत दर पर कार्यादेश दिया जाय। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
- कार्यवाही – परीक्षा विभाग
- प्रस्ताव क्र. 08—** विश्वविद्यालय में अवकाश दिनों में कर्तव्यस्थ सहायकों/समन्वय सहायकों के मानदेय में वृद्धि पर विचार।
- निर्णय —** निर्णय लिया गया कि :-
1. निरीक्षण कार्य में लगे समन्वय सहायक के मानदेय में 30 प्रतिशत वृद्धि की गई।
 2. अन्यों का अधिकतम 20 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि मान्य किया गया जिसमें 03 सहायक/समन्वय सहायक (ड्राईवर), 04 सहायक, 01 सफाई कर्मी तथा 05 गोपनीय विभाग में कार्यरत सहायक/समन्वय सहायक।
- इन्हें विभाग प्रमुख के सत्यापन के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
- कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 09— छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने संबंधी।

निर्णय — छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही — स्थापना/प्रशासन विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 10— विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 22/02/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — भवन निर्माण समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को कार्यादेश एवं अनुबंध किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही निम्नानुसार शर्तों के साथ कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

1. प्रस्तावित भवन का 03 डिजाईन जो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निविदा में आए हो उनका Presentation 3D Design सहित विश्वविद्यालय में स्थानीय कार्यपरिषद् के सदस्यों के समक्ष कराए।
 2. टेन्डर प्रारूप विश्वविद्यालय एवं स्थानीय कार्यपरिषद् के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
 3. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को कार्यादेश Deposit Work के रूप में दिया जाय।
 4. प्राकलन/अनुमानित राशि का 1/3 भाग विभाग को Deposit किया जाय। तदनुसार रूपये 06 करोड़ स्वीकृत किया गया।
- उपरोक्त शर्तों के साथ गृह निर्माण मंडल को कार्य दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही — यांत्रिकी विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

ABCD
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

CTA
(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. २०८/का.प./बैठक/2022,

बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

3. सम्माननीय सदस्यगण –
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोणडागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, विलासपुर, सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
 - 3.6 सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
 - 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, विलासपुर (छ.ग.)।
 - 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, विलासपुर (छ.ग.)।
 - 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर।
की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
 5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
 7. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. 191/ का.प./ बैठक / 2022

बिलासपुर, दिनांक ०८/०२/२०२२

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 07/आपात/2022, दिनांक 08/02/2022, दिन मंगलवार को अपराह्न 12:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 5 एवं 8 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इन्हनू के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 3. | श्री एस.एल.नाथक
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 4. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 5. | श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 6. | पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 7. | श्री प्रफुल्ल शर्मा
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 8. | श्री उचित सूद (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |

9. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
— सदस्य
- डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी
कुलसचिव (प्रभारी)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
— सचिव

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके :-

1. श्री संतराम नेताम
उपाध्यक्ष
बरतर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
— सदस्य
2. श्री गुलाब कमरो
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
— सदस्य
3. श्री आर. के. पटेल
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
— सदस्य

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय शिक्षकीय पदों के भरने के विषय में राज्य शासन की अनुमति: आरक्षण समिति के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर विचार।

निर्णय – कुलसचिव के पत्र दिनांक 24/01/2022 को संज्ञान में लेते हुए तथा उनके द्वारा वर्णित तथ्यों को उनसे सुना गया। पूर्व में गठित दोनों समितियों (डॉ. किस्पोट्टा समिति तथा डॉ. निराला समिति) के रिपोर्ट पर भी विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

- शासन से तीन सहायक प्राध्यापक के पदों को भरने की अनुमति मिली है इसमें Education का एक पद बैकलॉग के लिए रहेगा तथा शेष दो पदों को अग्रनीत करते हुए 100 बिन्दु रोस्टर में पहले एवं दूसरे पर लेते हुए Commerce को अनारक्षित तथा English को अनुसुचित जनजाति हेतु आरक्षित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद के निर्णय के साथ विज्ञापन प्रारूप को राज्य शासन के पास भेजकर मार्गदर्शन ले लिया जाय। विज्ञापन प्रारूप में अंतिम तिथि, दावा-आपत्ति हेतु सूची के प्रकाशन

१३/१/2022
०१।०१।२२

तथा ई-मेल के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र भेजने का भी उल्लेख किया जाय।

2. शासन से प्राप्त होने वाले निर्देश के परिपेक्ष्य में विज्ञापन क्रमांक 05/2021 दिनांक 23/12/2021 को निरस्त किया जाय।

कार्यवाही-स्थापना/प्रशासन विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 02- विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय/अध्ययन केन्द्रों हेतु कम्प्युटर, प्रिंटर कम स्केनर एवं UPS क्रय किए जाने पर विचार (विश्वविद्यालय बजट-2021-22 के Head of Account C-1 Grant from UGC on item for development funds से विकलनीय)।

निर्णय -

विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय/अध्ययन केन्द्रों हेतु कम्प्युटर, प्रिंटर कम स्केनर एवं UPS क्रय किए जाने की स्वीकृति देते हुए रु. 90,17,573/- (नब्बे लाख सत्रह हजार पाँच सौ तिहत्तर रुपये) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही- भण्डार विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

13/1/2022
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

पृ. क्र. 192/का.प./बैठक/2022,

१३/१/२०२२
(डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी)
कुलसचिव / सचिव (प्रभारी)

बिलासपुर, दिनांक ०५/०२/२०२२

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण -
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोण्डागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।

- 3.6 सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.8 पदमश्री खांसा जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, विलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, विलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर।
- की ओर कार्यवाही—विवरण आपके अवलोकन एवं वहमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन—प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

*निर्देश
कुलसचिव*



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. १८३ / का.प. / बैठक / 2022

बिलासपुर, दिनांक २८ / ०१ / २०२२

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या ०६ / नियमित / २०२२, दिनांक २७ / ०१ / २०२२, दिन गुरुवार को अपराह्न १२:०० बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति / विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक २, ३, ४, ७ एवं ८ के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इन्हन् के द्वारा नामांकित)
3. श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)
5. पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
6. श्री प्रफुल्ल शर्मा — सदस्य
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
7. श्री उचित सूद (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)
8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

9. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति — सदस्य
 सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
 (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत — सचिव
 कुलसचिव
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री गुलाब कमरा — सदस्य
 उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर
2. श्री संतराम नेताम — सदस्य
 उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर
3. श्री आर.के. पटेल — सदस्य
 संभागीय संयुक्त संचालक
 कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
 (सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 05/नियमित/2021 एवं 06/आपात/2021 की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – कार्यवाही अनुमोदन के पूर्व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 05/नियमित/2021 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में डॉ. प्रकृति जेम्स से नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर लिया जाय। Extra Ordinary Leave की नियमानुसार पात्रता होने पर स्वीकृत किया जाय। प्रस्ताव क्रमांक 21 में विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। सामग्री प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जाय। कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 06/आपात/2021 के प्रस्ताव क्रमांक 06 में रूपये 02 लाख अतिरिक्त अग्रिम राशि की सूचना ग्रहण करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ दोनों बैठकों के कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग,
 परीक्षा विभाग,
 भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत मानसेवियों को 29 जनवरी 2022 से कार्य करने की अनुमति संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय के मानसेवी पद पर आरक्षण नियमों का पालन करने हेतु रोस्टर लगाने के लिए पदवार बैकलॉग निकालकर भविष्य में भरे जाने वाले पदों एवं रिक्त हुए पदों पर को बैकलॉग अनुसार भरा जाय।

श्री मालिक राम पटेल को उनकी लापरवाही के लिए कार्यान्वयन किया जाय। श्री अभिनंदन कर्माकर को उनकी अनुशासनहीनता के लिए एक स्तर नीचे दो माह के लिए किया जाय। श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी के आवेदन पर विचार कर उनके आवेदित स्थान पर एक स्तर निम्न (सहायक कार्यक्रम समन्वयक) पाण्डातराई में स्थानांतरित किया जाय। इसके साथ विश्वविद्यालय मानसेवियों को 177 दिवस के लिए कार्य करने की स्वीकृति को अनुमोदित किया गया। इस पर होने वाले व्यय भार बजट के ‘B.9- Expenditure on RSD: Student Support Services & Centers Maintenance etc.’ के क्रमांक 01 एवं 03 मद से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय शुल्क वापसी संबंधी नियम की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय शुल्क वापसी संबंधी नियम की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय वित्त समिति की 32 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय वित्त समिति की 32 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय हेतु नये वाहन क्रय करने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय के लिए वाहन क्रय बजट मद में राशि रुपये 75 लाख उपलब्ध है। नये वाहन क्रय करने हेतु 04 Cruiser Toofan तथा 01 Ciaz Alpha कुल अनुमानित व्यय रु. 72,03,516.00 (बहत्तर लाख तीन हजार पाँच सौ सोलह रुपये मात्र) संबंधी प्रस्ताव पर शासन को सूचित करते हुए क्रय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पुराने वाहनों को विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के इम्प्रेस्ट/आकस्मिक व्यय के निर्धारण संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के इम्प्रेस्ट/आकस्मिक व्यय के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विद्यापरिषद् की 37 वीं (एजेण्डा बाई सर्कुलेशन) बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् की 37 वीं (एजेण्डा बाई सर्कुलेशन) बैठक के कार्यवाही-विवरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् में परिनियम क्र. 04 (I) (b) के तहत एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।

निर्णय – डॉ. शोभित कुमार वाजपेयी को क्षेत्रीय निदेशक पद पर नियुक्ति किया गया है। इनका विद्यापरिषद् में सदस्य के रूप में मनोनयन मान्य किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 ऑनलाईन आयोजन के सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 ऑनलाईन आयोजन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – NAAC Criteria 7 के बिन्दु क्र. 7.18 के अंतर्गत Core Value संबंधी।

निर्णय – NAAC Criteria 7 के बिन्दु क्र. 7.18 के अंतर्गत Core Value को मान्य किया गया।

कार्यवाही – NAAC विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – विश्वविद्यालय स्टूडियो निर्माण विषयक।

निर्णय – L1 को सशर्त कार्यादेश दिया जाय। गुणवत्तापूर्ण कार्य की समीक्षा विश्वविद्यालय भवन समिति द्वारा की जायेगी। गुणवत्ता परीक्षण समिति के अध्यक्ष विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के सदस्य पदमशी डॉ. भारती बंधु होंगे। समिति की अनुशंसा पर ही फर्म को भुगतान किया जायेगा।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना के नियम 08 / 11 संबंधी।

निर्णय – शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना के नियम 08 / 11 को मान्य किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – विश्वविद्यालय में ग्रंथपाल की नियुक्ति हेतु समिति में सदस्य नामित करने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में ग्रंथपाल की नियुक्ति हेतु कार्यपरिषद् की ओर से चयन समिति में नामित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए कुलपति द्वारा एक उप-समिति गठित की जाएगी।

कार्यवाही – स्थापना / प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – प्रो. डी.एन.वर्मा समिति की रिपोर्ट तथा कुलपति की आख्या को पटल पर रखे जाने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – मुख्य डाकघर बिलासपुर द्वारा पार्सल सुविधा संबंधी।

निर्णय – मुख्य डाकघर बिलासपुर द्वारा पार्सल सुविधा अनुबंध की अनुमति दी गई।
कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय के तीन पी-एच.डी. शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय के तीन पी-एच.डी. शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – कुलसचिव का पत्र कार्यपरिषद के समक्ष पटल पर रखे जाने संबंधी।

निर्णय – कुलसचित द्वारा अपना पक्ष रखा गया जिसे कार्यपरिषद द्वारा सुना गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

184/4
28.1.22

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

184/4
(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. 184 /का.प./बैठक/2022,

बिलासपुर, दिनांक 28/01/2022

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोणडागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।

- 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
- 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- 3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

१-४
कुलसचिव —



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-विरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. 143 / का.प. / बैठक / 2021

बिलासपुर, दिनांक 09/12/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 06/आपात/2021, दिनांक 09/12/2021, दिन गुरुवार को अपराह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 3. | श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 4. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 5. | श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 6. | पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 7. | श्री प्रफुल्ल शर्मा
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 8. | श्री उचित सूद
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |

9. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
 सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
 (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत
 कुलसचिव
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉनफ़ेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री संतराम नेताम
 उपाध्यक्ष
 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर
2. श्री गुलाब कमरो
 उपाध्यक्ष
 सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर
3. संभागीय संयुक्त संचालक
 कोष लेखा एवं पेशन, बिलासपुर
 (सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु राशि रु. 11,77,224/- की वित्तिय एवं प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु प्रस्ताव पर विचार किया गया। ई-मानक से फोटोकॉपी मशीन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ई-मानक से क्रय करते हुए बिलासपुर के प्रदायकर्ता को स्थानीय होने के कारण प्राथमिकता दी जाए। बिलासपुर में सामग्री की उपलब्धता न होने की स्थिति में रायपुर के प्रदायकर्ता को सामग्री प्रदाय करने के लिए कार्यादेश दिया जाए। फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु राशि रु. 11,77,224/- (ग्यारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौबिस रुपये) की वित्तिय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ ही साथ कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों के लिए लाइब्रेरी में न्यूनतम दर पर फोटोकॉपी की सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी अथवा आवेदन आमंत्रित कर किसी विकलांग व्यक्ति को न्यूनतम दर पर फोटोकॉपी प्रदाय करने हेतु मशीन लगाने की स्वीकृति प्रदान दी।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30/11/2021 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30/11/2021 के कार्यवाही विवरण का कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन फर्मों को, जिन कार्यों के लिए अनुशंसा भवन निर्माण समिति द्वारा की गई है उसकी जानकारी फर्मों को आंमत्रित कर देते हुए सहमति पत्र लेकर कार्यादेश जारी किया जाए। सात दिवस के अंदर यह कार्य संपन्न करा लिया जाए। इस दौरान फर्मों से साथ बैठक में श्री उचित सूद उपस्थित रहेंगे। स्टूडियो निर्माण के लिए Part (A) Rs. 41,87,642/- Part (B) Rs. 30,13,000/- Part (C) 4,26,000/- Total Rs. 76,26,642/- (छिहत्तर लाख छब्बीस हजार छः सौ बयालीस रुपये) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दी गई। कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा यह भी अनुशंसित किया गया कि निर्माण पश्चात् गुणवत्ता परीक्षण कार्यपरिषद् के सदस्यों की उपस्थिति में करा गुणवत्ता की अनुशंसा पश्चात् भुगतान किया जाय।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय योजना मंडल की 10 वीं आपात बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय योजना मंडल की 10 वीं आपात बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय गैर-शैक्षणिक पद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवेवेतनमान में दिनांक 01/06/2018 से अप्रैल 2019 तक एरियर्स राशि संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – वित्तीय वर्ष 2019–2020 के अंकेक्षण रिपोर्ट पर पालन प्रतिवेदन के अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – कार्यपरिषद् की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाए।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा सत्र जनवरी–दिसंबर 2021 के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रवार का निर्धारण एवं अग्रिम राशि रु. 13,96,180/- (तेरह लाख छियानबे हजार एक सौ अस्सी रु) की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा सत्र जनवरी–दिसंबर 2021 के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रवार का निर्धारण एवं अग्रिम राशि रु. 13,96,180/- (तेरह लाख छियानबे हजार एक सौ अस्सी रु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही डी.पी. विप्र लॉ कॉलेज के स्थान पर विश्वविद्यालय मुख्यालय के शिक्षण विभाग को केन्द्र बनाया जाय।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय के तीन पी-एच.डी. शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – छात्र श्री भरतलाल साहू की बी.ए. उपाधि निरस्त करने वाबत्।

निर्णय – छात्र श्री भरतलाल साहू के दोनों ही विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि का परीक्षण करा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–2021 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–2021 का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

B6/
9.12.21

(वंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

1.228
(इंदु अनंत)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्र. /५५/ का.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक ०९/१२/२०२१

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोणडागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
 - 3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।

- 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, विलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, विलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर।
- की ओर कार्यवाही—विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन—प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।



कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. ॥१ / का.प. / बैठक / 2021

बिलासपुर, दिनांक 16/11/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की बैठक संख्या 05/नियमित/2021, दिनांक 15/11/2021, दिन सोमवार को अपराह्ण 12:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3 एवं 5 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 3. | श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 4. | श्री एस.एल.नायक
संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 5. | पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
(विडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से)
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 6. | श्री प्रफुल्ल शर्मा
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 7. | श्री उचित सूद
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 8. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |

9. श्री आर.के. पटेल – सदस्य
 संभागीय संयुक्त संचालक
 कोष लेखा एवं पैशन, बिलासपुर
 (सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
10. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति – सदस्य
 सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
 (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत – सचिव
 कुलसचिव
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री गुलाब कमरा – सदस्य
 उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर
2. श्री संतराम नेताम – सदस्य
 उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
 रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 04/नियमित/2021 की कार्यवाही-विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव क्रमांक 05 में 'अनुमोदन' के स्थान पर 'सूचनार्थ' किया जाय के संशोधन के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गई।

प्रस्ताव क्र. 02 – कोरोना से संक्रमित शासकीय कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी।

निर्णय – प्रस्तावित अवकाश अवधि का Medical Leave (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) जमा करना निर्देशित करे। तथा विशेष आकस्मिक अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश मान्य किया गया। संबंधित के खाते में अवकाश न होने की स्थिति में Extra Ordinary Leave स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय परिनियम 13.8 में संशोधन संबंधी।

निर्णय – संशोधन मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – डॉ. रुचि त्रिपाठी द्वारा प्राप्त धारणाधिकार अवधि बढ़ाये जाने हेतु आवेदन पर विचार।

निर्णय – डॉ. रुचि त्रिपाठी द्वारा प्राप्त धारणाधिकार बढ़ाए जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से धारणाधिकार समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर लागू करने की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27/08/2021 के निर्णय पर की गई कार्यवाही के प्रकाश में स्टूडियो निर्माण पर विचार करना।

निर्णय – विश्वविद्यालय भवन निर्माण संबंधी क्रय समिति की बैठक दिनांक 27/08/2021 पर की गई अनुसंशा निम्न शर्तों/सुझाव सहित मान्य किया गया।

1. L1 फर्म (मेसर्स गगन होम साल्युशन बिलासपुर) को पत्र दिया जाय की फर्म अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में 25/11/2021 तक सप्रमाण अपना पक्ष प्रस्तुत करें। संतोषजनक प्रस्तुत न करने की स्थिति में L2 फर्म (भट्ट इन्टरप्राईजेस बिलासपुर) से Negotiate कर L2 फर्म को कार्यादेश दिया जाय।
2. इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए जमा की गई (पी.डब्लू.डी. के पक्ष में) बचत राशि से सिहावा अकादमिक भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य करा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु पुस्तक क्रय संबंधी।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – ग्रंथालय विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले अधिवक्ता शुल्क पर विचार करने संबंधी।

निर्णय – विभिन्न विश्वविद्यालयों से अधिवक्ता शुल्क की जानकारी प्राप्त की गई थी। कार्यपरिषद् द्वारा विचार कर रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार रूपये मात्र) मान्य किया गया।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय वेबसाईट में विश्वविद्यालय मोनो का दुरुपयोग रोकने हेतु अधिसूचना के प्रसारण संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय वेबसाईट में विश्वविद्यालय मोनो का दुरुपयोग रोकने हेतु अधिसूचना के प्रसारण संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – कम्युनिटी रेडियो की सेवाए लेने संबंधी।
निर्णय – रूपये एक लाख तक के कार्य हेतु कोटेशन मंगा कर कार्य कराया जाय।
कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति से प्राप्त स्पष्टीकरण संबंधी।
निर्णय – डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति से प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया गया। डॉ. प्रजापति द्वारा नैक संबंधी कार्यों से मुक्त किये जाने के लिए लिखे गये पत्र अप्रसन्नता जाहिर की है। विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम के अंतर्गत निर्देशित कार्यों का निर्वहन विश्वविद्यालय कर्मचारी (शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी) का कार्यालयीन दायित्व है, सौपे गये दायित्वों से मना करना नीतिगत नहीं है अतः भविष्य में इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इसकी समझाइस दी गई। कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के अनुशासनहीनता पर परिनियम प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा पूरक स्पष्टीकरण लिए जाने का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार संबंधी।
निर्णय – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार किया गया तथा MoU के लिए मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – ST/SC/OBC Cell की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन संबंधी।
निर्णय – ST/SC/OBC Cell की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (काउन्सलर) के नाम का अनुमोदन संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (काउन्सलर) के नाम का अनुमोदन किया गया।
कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – विश्वविद्यालय में परीक्षा समन्वयक के मानदेय की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।
निर्णय – पूर्व की भाँति रूपये 46,500/- (छियालीस हजार पाँच सौ रुपये) मान्य किया गया।
कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 16 – अतिथि शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।
निर्णय – वर्ग-2 हेतु निर्मित आवास में रिक्त रहने पर निर्धारित किराया, विजली एवं जल व्यय राशि लेते हुए सशर्त दिया जाय।
कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – विद्यापरिषद् की 36 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – विद्यापरिषद् की 36 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 18 – विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्मित आवास आबंटन किये जाने विषयक।

निर्णय – आवश्यक सेवा में लगे मानसेवी कर्मचारियों को निर्धारित किराया, बिजली एवं जल प्रदाय हेतु शुल्क लेकर सशर्त निम्नानुसार आबंटित किया जाय –

1. समन्वयक – वर्ग-2
2. कार्यक्रम समन्वयक, सहा. कार्यक्रम समन्वयक एवं समन्वय सहायक (तकनीकी कार्य) – वर्ग-3
3. समन्वय सहायक एवं सहायक – वर्ग-4

तकनीकी कार्य में संलग्न समन्वय सहायक को वर्ग-3 में आवास रिक्त रहने पर दिया जाय।

आबंटन सशर्त हो कि आवश्यक होने पर मानसेवी आवास रिक्त कर देंगे।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 19 – विश्वविद्यालय में सर्वर क्रय हेतु क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – L1 फर्म (Disha Hardware Services, Bilaspur) को मान्य किया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 20 – विश्वविद्यालय के बी.बी.पी.एल./बी.पी.एल विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति नियम संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय के बी.बी.पी.एल./बी.पी.एल विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति नियम का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 21 – विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु ₹ 24,75,745/- के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – क्रय समिति की अनुशंसा मान्य किया गया। विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु ₹ 24,75,745/- (चौबीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस रुपये) के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 22 – विश्वविद्यालय स्टील चेयर क्रय के राशि रु 12,82,047/- भुगतान की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – कार्य पूर्ण होने पर वित्त शाखा से परीक्षण उपरान्त भुगतान की राशि रु 12,82,047/- (वारह लाख बयासी हजार सैंतालीस रुपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 23 – विश्वविद्यालय SLM पाठ्य सामग्री क्रय के देयक राशि रु. 51,60,623/- संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय को प्राप्त देयक में टंकित त्रुटि सुधार कर लिया जाय। प्राप्त SLM पाठ्य सामग्री के गुणवत्ता का विधिवत परीक्षण करा लिया जाय। SLM के लिए प्राप्त देयकों का कुल रु. 1,22,42,655/- (एक करोड़ बाईस लाख बयालीस हजार छ: सौ पचपन रुपये) का वित्तीय परीक्षण करा भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि SLM पाठ्य सामग्री के लिए प्रस्तावित तीन वर्षों के मुद्रण हेतु अनुबंध किया जाय। इस पर वित्त नियमों के अंतर्गत परीक्षण करा कार्यपरिषद् के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 24 – विश्वविद्यालय के नौ पी-एच.डी शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 25 – विश्वविद्यालय वित्त समिति की 31 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 01 – सूचना एवं प्रवेश विवरणिका के देयक 13,34,344/- (तेरह लाख चौतीस हजार तीन सौ चवालिस रुपये) भुगतान संबंधी।

निर्णय – सूचना एवं प्रवेश विवरणिका के देयक रु. 13,34,344/- (तेरह लाख चौतीस हजार तीन सौ चवालिस रुपये) के वित्तीय परीक्षण करा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 02— विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी की व्यवस्था संबंधी।

निर्णय — विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्य हेतु तत्काल व्यवस्था की जाय। जनसंपर्क अधिकारी के कार्य को योग्य मानसेवी कर्मचारी को दिये जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही — स्थापना/प्रशासन विभाग

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में B.Ed. भवन निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए राज्य शासन को स्मरण पत्र लिखा जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

16/11/2021
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

१८१
(इंदु अज्ञात)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्रं. 120 / का.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण —
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोणडागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
 - 3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.8 पदमश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
 - 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिंज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
- की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. ४१/ का.प./ बैठक / 2021

बिलासपुर, दिनांक ०२/०८/२०२१

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या ०४/ नियमित/ 2021, दिनांक २८/०७/२०२१, दिन बुधवार को प्रातः ११:०० बजे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति/ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक २, ३, ७, ८ एवं ९ के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर | - अध्यक्ष |
| २. | प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| ३. | श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| ४. | श्री एस.एल.नायक
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| ५. | पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| ६. | श्री प्रफुल्ल शर्मा
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| ७. | श्री उचित सूद (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.) | - सदस्य |

8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)
9. श्री आर.के. पटेल (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
10. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री गुलाब कमरो — सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
2. श्री संतराम नेताम — सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 03/नियमित/2021 एवं 05/आपात/2021 बैठक की कार्यवाही-विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – संपुष्टि की गई। कार्यवृत्त अनुमोदित।

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत मानसेवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 02 अगस्त 2021 से कार्य करने की अनुमति संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मानसेवी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य की अनुमति प्रदान करनें के पूर्व विभाग प्रमुख से कार्य एवं व्यवहार का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए। जिनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद है उन अधिकारियों/कर्मचारियों को 02 अगस्त से 177 दिवस के लिए कार्य करनें की अनुमति प्रदान की जाय। इन अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर होने वाले व्यय भार बजट के ‘B.9- Expenditure on RSD: Student Support Services & Centers Maintenance etc.’ के क्रमांक 01 एवं 03 मद से विकलनीय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश में भी इसका उल्लेख किया जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र परिवर्तन, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन, पाद्यक्रम/संकाय परिवर्तन, फीस वापसी, पात्रता संबंधित इत्यादि परिवर्तन नियम संबंधी।

निर्णय – प्रस्तावित नियमावली अनुमोदित।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – योजना मंडल की 09 वीं आपात बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यवाही विवरण अनुमादित।

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग H: गैर शिक्षक अधिकारियों की योग्यता को जोड़ने हेतु सुझाव पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित। यह की विज्ञापन के पूर्व विज्ञापन प्रारूप को राज्य शासन के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाय तथा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – क्षेत्रीय कार्यालयों के इम्प्रेस्ट का मदवार निर्धारण संबंधी।

निर्णय – इम्प्रेस्ट का मदवार निर्धारण स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – स्व-अध्ययन सामग्री (SLM) के मुद्रण संबंधी फर्म के चयन संबंधी सूचनार्थ।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – NAAC के मूल्यांकन की दृष्टि से समन्वयकों को मानसेवी आधार पर कार्यानुमति संबंधी।

निर्णय – वित्त विभाग से सुझाव लेकर कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – स्थापना /प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय कर्मचारी स्थानान्तरण नियम संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय कर्मचारी स्थानान्तरण नियम संबंधी प्रस्ताव को वर्तमान में स्थगित रखा जाय।

कार्यवाही – स्थापना / प्रशासन विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 10 – विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले अधिवक्ता शुल्क पर विचार करने संबंधी।
निर्णय – राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में अधिवक्ताओं को दिए जा रहे शुल्क की जानकारी ले ली जाए एवं शासन द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को दी जा रही शुल्क की जानकारी ले ली जाए। इसके साथ ही विधिक परामर्श शुल्क की भी जानकारी ले ली जाए।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

प्रस्ताव क्र. 11 – विश्वविद्यालय में मानसेवी रूप से कार्यरत सहायक/समन्वय सहायक/सहा. कार्य. समन्वयक/कार्य. समन्वयक एवं समन्वयकों को मानदेय की वृद्धि करने पर विचार।

निर्णय – मानदेय में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया। स्वीकृति प्रदान की गई। मानदेय में वृद्धि से होने वाले व्यय भार बजट के ‘B.9- Expenditure on RSD: Student Support Services & Centers Maintenance etc.’ के क्रमांक 01 एवं 03 मद से विकलनीय होगा।

कार्यवाही – स्थापना / प्रशासन विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

१५८/१
२.८.२१

(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति / अध्यक्ष

१५८/१
(इंदु असांत)

कुलसचिव / सचिव

पृ. क्र. १० / का.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक ०२/०८/२०२१

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवार्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री रांतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बरत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हरा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोणडागांव।

- 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
- 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
- 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- 3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.8 पदमश्री रवामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
- की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नरती हेतु।

—
कुलसचिव